रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 477] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 21, 1974/कार्तिक 30, 1896

No. 477] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 1974/KARTIKA 30, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November 1974

S.O. 670(E).—In pursuance of section 20 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Central Government hereby publishes the order made on the 14th October, 1974 by the Supreme Court of India, in Election Petition No. 1 of 1974.

"IN THE SUPREME COURT OF INDIA

ORIGINAL JURISDICTION

ELECTION PETITION No. 1 OF 1974 (FOR PRELIMINARY HEARING)

(Under Part III of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act XXXI of 1952).

Charan Lal Sahu s/o Motilal Sahu, Aged 87 years, Advocate, Supreme Court of India, New Delhi—*Petitioner.*

Versus

1. Shri Fakhruddin Ali Ahmed, s/o Shri J. A. Ahmed, aged 69 years, President-Elect—(Returned Candidate), Rashtrapati Bhavan, New Delhi.

2. Union of India through Secretary Home Ministry, Government of India, New Delhi.

3. Shri Tridip Chaudhary, M.P., 30, Janpath, New Delhi—*Respondents*

14th October, 1974

CORAM:

HON'BLE MR. JUSTICE P. JAGANMOHAN REDDY
HON'BLE MR. JUSTICE K. K. MATHEW
HON'BLE MR. JUSTICE P. N. BHAGWATI
HON'BLE MR. JUSTICE P. K. GOSWAMI
HON'BLE MR. JUSTICE N. L. UNTWALIA

The Petitioner in Person.

For Respondent No. 1 : Mr. H. M. Seervai, Senior Advocate, (Mr. Naunit Lal and Miss Lalitha Kohli, Advocates with him).

For Respondent No. 2 and the Election Commission of India : Mr. F. S. Nariman, Additional Solicitor General of India (Mr. R. N. Sachthey, Advocate with him).

THE PETITION abovementioned being called on for preliminary hearing before this Court on the 14th day of October 1974 UPON hearing the Petitioner in Person and Counsel for Respondents Nos. 1 and 2 and for the Election Commission of India, Respondent No. 3 not appearing though served THIS COURT while holding that the Petitioner herein has no locus standi to maintain the petition abovementioned DOTH ORDER THAT the Petition abovementioned be and is hereby dismissed;

WITNESS the Hon'ble Mr. Ajit Nath Ray, Chief Justice of India at the Supreme Court, New Delhi, dated this the 14th day of October, 1974.

Sd./-
DEPUTY REGISTRAR."

[No. F. 23(13)/74-Leg. II.]

S. HARIHARA IYER, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1974

का० आ० 670(अ).—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 20 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार 1974 की सं० 1 वाली निर्वाचन अर्जी में, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 14 अक्तूबर, 1974 को दिया गया आदेश प्रकाशित किया जाता है।

"भारत का उच्चतम न्यायालय

आरंभिक अधिकारिता

1974 की सं० 1 वाली निर्वाचन अर्जी (प्रारंभिक सुनवाई के लिए) (राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) के भाग III के अधीन)

चरणलाल साहू आत्मज मोतीलाल साहू, आयु
37 वर्ष अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय,
नई दिल्ली। अर्जीदार

बनाम

1. श्री फखरुद्दीन अली अहमद,
आत्मज श्री जे० ए० अहमद, आयु 69 वर्ष,
राष्ट्रपति-निर्वाचित-(निर्वाचित अभ्यर्थी)
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

2. भारत संघ, मार्फत सचिव,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली ।

3. श्री लिदिप चौधरी, संसद् सदस्य
30 जनपथ, नई दिल्ली । प्रत्यर्थी

14 अक्तूबर, 1974

सम्मुख

न्यायमूर्ति पी० जगनमोहन रेड्डी
न्यायमूर्ति के० के० मैथ्यू
न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती
न्यायमूर्ति पी० के० गोस्वामी
न्यायमूर्ति एन० एल० ऊंट्वालिया

अर्जीदार स्वयं उपस्थित ।

प्रत्यर्थी सं० 1 की ओर से : श्री एच० एम० सीरवई, वरिष्ठ अधिवक्ता ।
(श्री मोनीतलाल और कु० ललिता कोहली, अधिवक्ता साथ में)

प्रत्यर्थी सं० 2 और भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से , श्री एफ० एस० नरीमान, भारत के अपर महा-सालिसिटर ।
(श्री आर० एन० सचदे अधिवक्ता साथ में)

ऊपर उल्लिखित अर्जी इस न्यायालय के समक्ष तारीख 14 अक्तूबर, 1974 को प्रारंभिक सुनवाई के लि पेश की गई। अर्जीदार को स्वयं और प्रत्यर्थी सं० 1 और 2 तथा भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से काउन्सेल को सुनने के पश्चात्, प्रत्यर्थी सं० 3 तामील के बावजूद हाजिर नहीं हुए, यह न्यायालय अभिनिर्धारित करता है कि अर्जीदार को ऊपर उल्लिखित अर्जी लाने के लिए सुने जाने का अधिकार नहीं है । इसलिए न्यायालय आदेश देता है कि ऊपर उल्लिखित अर्जी खारिज की जाए और वह एतद्द्वारा खारिज की जाती है ।

आज तारीख 14 अक्तूबर, 1974 को उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधिपति श्री अजीत नाथ रे इस आदेश के साक्षी हैं ।

ह०/-
उप रजिस्ट्रार

[सं० एफ० 23(13)/74-विधा० II]
एस० हरिहर अय्यर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974